न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 623सन् 2009

विरेन्द्र राय ........................................वादी।

बनाम

दीन दयाल राय वगैरह......................................प्रतिवादीगण।

दिनांक–30.10.2025

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 11.09.2025 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 01 दिन दयाल राय थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 27.08.2025 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 01 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 01 दिन दयाल राय नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है ।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0 01 दिन दयाल राय थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 27.08.2025 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त आवेदन शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उपरोक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 11.09.2025 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक.........................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, प्रथम्

सोनपुर, सारण।